Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. XV, Issue No. 5, July-2018, ISSN 2230-7540

महिला आरक्षण विदेयक चुनैतियाँ एवं समस्याएं

Dr. Pushpa Rai*

Associate Profesor & Head of the Department, Department of Sociology, Sri Arvind Mahila College, Patna, Bihar

सार – ***हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों की स्थिति हिन्दू समाज में स्त्रियों को ज्ञान शक्ति एवं सम्पति का प्रतीक माना जाता है। इन प्रतीकों के रूप में हिन्दू समाज नारी रूप सरस्वती दुर्गा एवं लक्ष्मी की पूजा करता है। समाज में स्त्री को पुरूष का आधा अंग माना जाता है तथा उसे अर्धांगिनी के रूप में सम्मानजनक स्थान दिया जाता है। किसी भी कार्य अथवा शुभ कार्य को अर्धांगिनी के बिना पूरा नहीं किया जाता। स्त्री के वास्तविक महत्त्व को व्याख्या इस प्रकार की गई है नारी परिवार की नींव है, परिवार समुदाय की तथा समुदाय राष्ट्र की। इससे स्पष्ट है कि स्त्री ही राष्ट्र की नींव है, जिस राष्ट्र अथवा देश में स्त्रियों का समुचित मान सम्मान होता है, वही राष्ट्र एक आदर्श और उन्नतिशील राष्ट्र बन सकता है।***

----------X----------

प्रस्तावना

प्रारम्भ में भारतीय हिन्दूसमाज में स्त्रियों को काफी अधिकार और सम्मान प्राप्त था, उत्तर वैदिक काल तथा वैदिक काल के पश्चात समाज की मौलिक व्यवस्थाओं में रूढियों ने स्थान ले लिया जिसके परिणामस्वरूप स्त्रियों का सम्मान और उनके अधिकार कम होते चले गये पुरूष समाज स्त्रियों के अधिकारों को छीनता गया उनका शोषण करता रहा, जिसके फलस्वरूप उनकी स्थिति हीन होती गई।

रूढियों और परम्पराओं को धर्म के ठेकेदारों तथा स्मृतिभाटों का सहयोग मिलन से स्त्री जाति धीरे-धीरे परतंत्र, निस्सहाय और निर्बल हो गई तथा पुरूष जाति ने स्त्री जाति के पारिवारिक अधिकारों तक को छीन लिया। मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति सबसे अधिक दयनीय रही परन्तु समय के बदलाव के साथ-साथ हमारे समाज में स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए भरसक प्रयत्न किये गये जिसके कारण उनकी स्थिति में काफी परिवर्तन आया है। आज भारत के हिन्दू समाज सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में बराबर के अधिकार प्राप्त है तथा आज अनेक क्षेत्रों में तो स्त्रियों के पुरूषों से भी अधिक श्रेष्ठता प्राप्त कर ली है, आज देश में स्त्रियों की सही स्थिति की जानकारी करने के लिए नारी भी विभिन्न युगों की सामाजिक स्थिति भी जानकारी करना उचित एवं वांछनीय है।

वैदिक युग

वैदिक युग में भारतीय समाज में स्त्रियों को पुरूषों के समान शिक्षा, धर्म, राजनीति सम्पति व उत्तराधिकार के अधिकार प्राप्त थे वैदिक साहित्य में अध्ययन से पता चलता है कि उस समय का आदर्श ष्नारी पुरूष की प्रकृति है का था तथा नारी के बिना पुरूष अथवा नर का जीवन अधूरा था। पत्नी के रूप में स्त्री की स्थिति काफी उच्च थी ऋग्वेद में नारी को ही धरा माना गया है। अथर्ववेद में कहा गया है कि – 'नव वधू तू जिस घर में जा रही है वहां की तू साम्राज्ञी है। तेरे श्वसुर, सास, देवर व अन्य तुझे समझते हुए तेरे शासन में आनन्दित है। यजुर्वेद से यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि नारी को संध्या करने तथा उपनयन संस्कार के अधिकार प्राप्त थे। इस काल में स्त्रियों को शिक्षा एवं साहित्य के अध्ययन करने की पुरूषों के समान स्वतंत्रता थी इस काल में धर्म एवं अनुष्ठान के कार्य बिना अर्धांगिनी (पत्नी) के पूरे नहीं किये जा सकते थे।

स्त्री अपने पति को दूसरा जन्म देती है, ऐसा विवरण 'ऐतरेय ब्राहमण' में दिया गया है। श्री प्रभु के अनुसार जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध था, स्त्री पुरूष में कोई विशेष भेद नहीं था और इस युग में दोनों की स्थिति समान रूप से महत्वपूर्ण थी इस काल में पर्दा प्रथा बाल-विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियां नहीं थी, स्त्रियों के सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करने व उनके स्वछन्द विचरण पर किसी प्रकार की रोक नहीं थी। स्त्रियों के शील तथा सम्मान की रक्षा करना एक महान कर्त्तव्य माना जाता था तथा उनका अपमान करना उस समय अधर्म माना

www.ignited.in

जाता था वंशवृद्धि, पिण्डदान, तपर्ण आदि में लड़कों का महत्त्व होने के कारण पुत्री की तुलना में पुत्र-जन्म को अधिक महत्त्व दिया जाता था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि वंशवृद्धि व अन्य कारणों से पुत्रों के प्रति विशेष उत्सुकता तथा पक्षपात दृष्टिगत होता है। ऋग्वेद में भी बार-बार पुत्रों की कामना का उल्लेख मिलाता है। परन्तु यह उल्लेख कहीं वहीं मिलता है कि उस समय लड़कियों के प्रति किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता था।

उत्तरवैदिक युग

स्त्रियों को वैदिक युग में जो पुरूषों के बराबर सम्मान व महत्व प्राप्त था वह उत्तरोत्तर कम होता चला गया उत्तर वैदिक काल में धर्मसूत्रों में बाल-विवाह का निर्देश दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप स्त्रियों को शिक्षा में बाधा पहुंची और उनकी शिक्षा का स्तर गिरता चला गया। उनके लिए वेदों का ज्ञान प्राप्त करना असम्भव हो गया। उत्तर वैदिक युग में स्त्रियों को धार्मिक तथा सामाजिक अधिकारों से वंचित करने के मुख्य कारण थे।

कर्मकाण्ड की जटिलता और पवित्रता की धारणा

कर्मकाण्ड की जटिलता और पवित्रता की धारणा में वृद्धि हो जाने से यह विश्वास किया जाने लगा कि मंत्रों में थोड़ी-सी भूल अनिष्ट कर सकती है। इसलिए स्त्रियों को धर्म ग्रन्थों के अध्ययन से अलग कर दिया गया।

अन्तर्जातीय विवाह

आर्यों ने अपने समुदाय में स्त्रियों की कमी होने से अनार्यों से विवाह करना शुरू कर दिया। ये अनार्य जातियाँ विधि-विधान से अपरिचित थी और उनके समुदायों से आने वाली लड़कियां भी उनको नहीं जानती थी। ऐसी स्थिति में उनको धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र से दूर रखना उचित समझा गया। विवाह स्त्रियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। विधवा विवाह को निषिद्ध कर दिया गया। बहुपत्नी विवाह का प्रचलन और अधिक बढ़ गया। इन सबके कारण सैद्धान्तिक रूप से स्त्रियों के अधिकारों पर पाबंदी लग गई परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से वे अधिकारों का उपयोग करती रही।

धर्मशास्त्र युग

भारत में तीसरी शताब्दी से लेकर ग्यारहवीं शताब्दी में पूर्वार्द्ध तक का युग हिन्दू धर्म शास्त्रों का युग कहलाता है। इस युग में विष्णुसंहिता पाराशर संहिता तथा याज्ञवल्क्य संहिता की रचना हुई जिसमें मनुस्मृति को ही व्यवहार की कसौटी मानकर वैदिक नियमों को पूर्ण रूप से तिलांजलि दे दी गई। भारत में हिन्दू स्त्रियां इस युग में सामाजिक एवं धार्मिक संकीर्ण विचारधारा का शिकार बनी। वैदिक काल की 'ग्रहलक्ष्मीष्ष्माता' एवं शक्ति प्रदायनीदेवी अब याचिका, सेविका तथा अबला में प्रतीक के रूप में दिखाई देने लगी वैदिक काल की वह स्त्री जो अपने प्रबल व्यक्तित्व के कारण देश में साहित्य और समाज के आदर्शों को प्रभावित करती थी। अब परतंत्र, पराधीन, निस्हाय और निर्बल बन चुकी थी इस काल में स्त्रियों में अधिकारों को छीनते हुई यहां तक लिखा गया कि स्त्री कभी स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। बचपन में पिता में अधिकारों में, युवावस्था में वह पति के वश में तथा वृद्धावस्था में वह पुत्र के नियंत्रण में रहे।' इसके साथ ही मनुस्मृति में स्त्रियों में कर्त्तव्य की व्याख्या करते हुए यह लिखा गया कि उनका परम कर्त्तव्य अपने पति की सेवा ही है। चाहे उनका पति कैसा ही क्यों न हो।

मध्ययुग

सोलहवीं शताब्दी से अठाहरवीं शताब्दी तक का युग मध्य युग के रूप में जाना जाता है।

इस युग में विशेष रूप से मुसलमानों के शासन की स्थापना के पश्चात से स्त्रियों की स्थित विशेष रूप से पतन की ओर अग्रसर हुई और स्त्रियों की स्थिति भी दृष्टि से यह युग हिन्दुओं के सामाजिक इतिहास में एक कलंक का युग माना जाता है ग्यारहवीं शताब्दी में प्रारम्भ से ही भारतीय समाज पर मुसलमानों का प्रभाव पड़ने के कारण हिन्दू संस्कृति की रक्षा करना आवश्यक हो गया था,

इसलिए ब्राह्माणों ने संस्कृति की रक्षा, स्त्रियों के सतीत्व एवं रक्त की शुद्धता बनाये रखने की दृष्टि से स्त्रियों से सम्बन्धित नियमों को अधिक कठोर बना दिया। लेकिन ब्राह्माणों ने इस बाल को भुला दिया कि स्त्री जिसका कि समाज तथा संस्कृति में अपना एक विशेष महत्त्व है। उसके चेतना शून्य हो जाने से समाज व संस्कृति का स्वतः ही पतन हो जायेगा।

इस युग में रक्त की पवित्रता की संकीर्णता का इतना अधिक विकास हुआ कि विवाह पांच वर्ष की आयु से ही होने लगे और इसके परिणामस्वरूप स्त्रियों की शिक्षा तथा उनकी सामाजिक स्थिति में द्रुतगति से गिरावट आई। इस युग में पर्दा प्रथा का विकास तो इतनी गति से हुआ कि परिवार में अन्य सदस्य तो दूर, स्त्री का पति भी अन्य लोगों के सामने अपनी पत्नी का मुँह नहीं देख सकता था। पति की मृत्यु हो जोने पर पत्नी का पति के साथ-साथ सती हो जाना पतिव्रत धर्म भी सर्वोच्च सीमा मानी गई। सतीप्रथा को धर्म का जामा पहना कर

www.ignited.in

प्रोत्साहन दिया गया सत्तियों को पूजनीय माना जाने लगा तथा उनकी पूजा होने लगी।

एक पत्नी के होते हुए भी विवाह रचना, एक से अधिक विवाह करके स्त्रियां रखना पुरूषों के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक बन गया। परिणाम यह हुआ कि स्त्रियां अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से पुरूषों पर निर्भर रहने लगी। अज्ञान के कारण भारतीय समाज में इन्हीं कुरीतियों और मिथ्याचारों को भारतीय संस्कृति का अंग समझ लिया।

इस युग में स्त्रियों के सम्पति सम्बन्धी अधिकारों के बारे में थोड़ा सुधार हुआ।जिन स्त्रियों के भाई नहीं होते थे, उन्हें अपने पिता की सम्पत्ति का अधिकार अथवा उत्तराधिकार मिलने लगा। शक्र ने तो अपनी नीति में यहां तक कहा कि जिस स्त्री के भाई है, उसे भाई की सम्पत्ति से भी आधा हिस्सा मिलना चाहिए। ग्यारहवीं शताब्दी में "मिताक्षरा" के लेखक विज्ञानेश्वर ने उस सभी सम्पत्तियों को स्त्रीधन में सम्मिलित किया जो उनको उत्तराधिकार एवं विभाजन आदि के द्वारा मिलती थी।

उद्देश्य

1. भारतीय समाज में स्त्रियों को पुरूषों के समान शिक्षा, धर्म, राजनीति सम्पति व उत्तराधिकार के अधिकार प्राप्त है

2. देश में स्त्रियों की सही स्थिति की जानकारी करने के लिए नारी भी विभिन्न युगों की सामाजिक स्थिति भी जानकारी करना उचित एवं वांछनीय है।

स्वतंत्रता से पूर्व स्त्रियों की दशा

स्वतंत्रता से पूर्व से यहां पर आशय अठारवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक है। जिस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। इस युग में भारतीयों के द्वारा समय समय पर समाज सुधार के विशेष प्रयास किये गये, परन्तु अंग्रेज सरकार से उन सुधारों के लिए विशेष एवं व्यावहारिक सहयोग नहीं मिला। स्त्रियों को शोषित तथा पीड़ित रखना ही उनके तथा उनके प्रशासन के हित में था इस कारण 20 वीं शताबदी के पूर्वार्द्ध तक भारतीय स्त्रियों की स्थिती में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। स्त्रियों की महत्त्वपूर्ण अग्रलिखित निर्योग्यताओं से उनकी इस समय की दयनीय स्थिति का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

सामाजिक निर्योग्यताएं पारिवारिक निर्योग्यताएं आर्थिक निर्योग्यताएं राजनीतिक निर्योग्ताएं मुस्लिम समाज में स्त्रियों की स्थिति शुरू से ही अरब इस्लाम का केन्द्र रहा है, अरबी समाज में स्त्रियों की स्थिति सदैव से ही पुरूषों से उच्च एवं महत्त्वपूर्ण रही है। अरबी मुस्लिम समाज में स्त्रियों को सामाजिक सम्पर्क एवं विवाह के क्षेत्र में सर्वोच्च एवं महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त थे। अरबी समाज में स्त्रियों को इस बात का पूरा अधिकार था कि वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी पुरूष से विवाह कर सकती थी। इस विवाह में सम्बन्ध अपेक्षकृत अस्थायी होते थे स्त्री जब चाहे पुरूष से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर सकती थी।

महिला आरक्षण के समक्ष समस्याएँ और चनौतियाँ

नारी सशक्तिकरण के प्रयास तब तक अधूरे रहेगे जब तक समाज की सोच महिलाओं के प्रति नहीं बदलेगी यानि सवाल अधिकार से ज्यादा नजरिये का है और यदि दृष्टिकोण में परिवर्तन आ जाये तो फिर अधिकार प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आयेगी।

महिला आरक्षण के मौजूदा स्वरूप से यह स्पष्ट है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें बारीबारी से बदलती रहेगी। इस प्रावधान के चलते एक खतरा यह है कि एक बड़ी संख्या में सांसदों को अपना निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा जिन सांसदों को महिला आरक्षण के कारण अगली बार चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा वे या तो अपने निर्वाचन क्षेत्र को लेकर उदासीन हो जायेगें या फिर वहां से अपने परिवार की महिलाओं को प्रत्याशी बनाने की कोशिश करेगें इस पर आश्चर्य नही है कि महिला आरक्षण का लाभ नेताओं की पत्नियों, बहुएँ और बेटिया ही अधिक उठायेगी।

एक धारणा यह भी कि महिला आरक्षण के चलते एक तिहाई महिलाऐं तो लोकसभा और विधानसभाओं में पहुँचेगी ही आगे चलकर इनमें से कई महिलाएं गैर आरक्षित सीटों से भी चुनाव जीत सकती है। यदि ऐसा हुआ तो सदनों में महिला जन प्रतिनिधियों की संख्या एक-तिहाई से अधिक भी हो सकती है ऐसा होने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि महिलाओं की आबादी 50 प्रतिशत के आस-पास है लेकिन इस संभावना से पुरूष नेताओं का चिन्तित होना स्वाभाविक है ऐसा लगता है कि महिला आरक्षण के विरोध के पीछे एक कारण यह भी । महिला आरक्षण पर लालू यादव, मुलायम सिंह की आपत्तियों के साथ-साथ उन सवालों पर भी गौर किया जायें जो महिला आरक्षण विधेयक में मौजूदा स्वरूप को लेकर उठ रहे है।

समाज का हित इसी में है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के कदम आम सहमती से उठायें जायें कुछ अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जाना चाहिए जैसे चुनाव आयोग द्वारा यह

निर्देशित किया जा सकता है कि राजनीतिक दल एक निश्चित प्रतिशत में महिलाओं को राज्यवार टिकट देने के प्रत्यक्ष प्रयास किये जायें क्योंकि भारतीय समाज अभी भी पुरूष प्रधान है यहां न केवल बेटों की लालसा पहले जैसी है बल्कि महिलाओं को अक्सर बराबरी का दर्जा देने से इनकार किया जाता है।

महिला आरक्षण विधेयक अभी भी कठिन राह से गुजर रहा है इस राह के जो कांटे है उनको हम निम्न रूप में देख सकते है।

1. मंत्री सांसद - जो देश राज्य को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र के लिए काम करते है योजना बनाते है बाकि दूसरे क्षेत्र की और आंख मूद लेते है उनको अब दूसरे क्षेत्र की और भी नजरियां देखना होगा क्योंकि क्या पता अगले चुनावों में उनका चुनाव क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित हो गया तो उन्हें कहीं और से चुनाव लड़ना पड़ेगा यह कहां का तुक और न्याय है यह तो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है ।

2. महिला आरक्षण बिल पास हो गया तो देश में राबड़ी और माया जैसी देवीयों ओर स्त्रीयों का राज होने की संभावना प्रबल है- जिसके बारे में सुनकर रूह कांप जाती है।

3. 33 प्रतिशत पुरूष सांसद चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र के लिये कोई कार्य नहीं करेगें क्योंकि उन्हें संभावना में यह दिखाई देता रहेगा कि अगली बारी में उनका क्षेत्र स्त्री के लिए आरक्षित हो जायेगा।

4. 50 प्रतिशत मामलों में महिला आरक्षण का कोई अर्थ इसलिए नहीं होगा क्योंकि इन संसदीय क्षेत्रों में एक बार पति चुनकर आयेगें तो अगली बार पत्नि सांसद पति रहे या पनि क्या फर्क पड़ता है। कई मामलों में मां-बेटा, बेटी-बाप, बहु-ससुर का बढ़िया उदाहरण योग्य है।

5. भारतीय महिलाओं पर जब भी जो भी जिम्मेदारी आती है वे उसे पूरे मन से निभाती है। लेकिन हम उनके गुणों और प्रतिभा की उपेक्षा करते है। उनके योगदान का सम्मान नहीं करते और नहीं बदले में कुछ देते है कई राज्यों और अनेक जातियों में बेटी का जन्म आज भी अभिषाप माना जाता है उसे भर्ण में ही नष्ट कर दिया जाता है या जन्म लेने के बाद उपेक्षित सदस्य के तौर पर परवरिश होती है। भोजन और शिक्षा तक के मामले में उसकी उपेक्षा होती है अतः समाज में महिलाओं के प्रति उपेक्षित व्यवहार भी महिला आरक्षण ना मिलने का एक प्रमुख कारण है।

6. भारतीय समाज धार्मिक आडम्बरों से परिपूर्ण है भारतीय समाज में ऐसी कई धारणाएं व्याप्त है जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है महिलाओं के आरक्षण प्राप्ति के मार्ग में भारतीय समाज की कुरूतियां भी रोड़े का कार्य करती है।

7. देश और समाज के विकास के लिए इस आधि आबादी का पूर्ण सहयोग जरूरी है इस के लिए आवश्यकता है कि महिलाओं को समान रूप से शिक्षा दी जायें शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के साथ समाज के द्वारा शौतेला व्यवहार किया जाता है अतः शिक्षा महिला आरक्षण विधेयक के मार्ग में बाधा है।

8. कांग्रेस सरकार गठबन्धन पर आधारित है इस गठबन्धन में अनेक दल शामिल है- सपा और राजद के सांसदो ने इस विधेयक का विरोध किया है अत: कांग्रेस सरकार भी राजनितिक दबाब के चलते इस विधेयक को ठण्डे बस्ते में डालती दिख रही है।

9. महिला आरक्षण विधेयक पास हो जायेगा तो राजनितिक अपराधिकरण कम हो जाये उदाहरण के लिए राजनितिक पार्टीया चुनाव जीतने के लिए महिला सहाबुद्दीनों और स्त्री पप्पू यादवों को कहां से लायेगी अत:राजनिती में अपराधिक तत्वों की कमी आयेगी और राजनेता ऐसा नहीं चाहते है।

10. कुंवारे सांसदों के लिए भी यह बिल उपयुक्त नहीं है क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र अगली बार महिला आरक्षित हो गया तो अपना संसदीय क्षेत्र हाथ से नहीं निकल जायें तो इसलिए इन कुंवारें सांसदो को विवाह करना अनिवार्य हो जायेगा।

11. महिला आरक्षण बिल के पारित हो जाने पर भारतीय संसद की नित्य गिरती गरिमा में ठहराव व उल्टे गरिमा में उथान की संभावना है जो कि कुछ राजनितिक पार्टीयों व सांसदो की कार्यशैली के विपरित होगा इसलिए वे इस आरक्षण बिल का विरोध कर रहे है।

12. कुछ तथाकथित बुद्धि जीवियों का मानना है कि भारतीय संसद को बेकार की लफाबाजियों थोथे भाषण, धरणा प्रर्दशण अकारण विरोध, जूतन पैजार इत्यादि के लिए है । कामधाम का वहां क्या लेन-

www.ignited.in

देना? 33 प्रतिशत स्त्रीयों को अकारण ही इसमें झोके जाने की साजिश मात्र है।

13. भारतीय राजनिति में होने वाले आर्थिक घोटालों में महिलाओं को भी भागीदार बनाया जायेगा अत: महिलाओं को इस बिल का विरोध स्वयं को करना चाहिए ऐसे कुछ लोगों का मानना है।

समाधान

नारी शक्ति स्वरूप साधना की सशक्त धारणा है जहां प्रजनन एवं विकास दोनों ही समान है नारी देवी है और देवी की शक्ति से भलीभांति परिचित है फिर भी आज नारी ही सबसे ज्यादा प्रताड़ित है इस प्रताड़ना में नारी की सहजता समाई है पर जब उसकी सीमा समाप्त हो जाती है तब उसके प्रचण्ड रूप को भी देखा जा सकता है जहां विनाश की धारण स्वतः जनित होउजाती है कहा गया है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। वेद के इस वाक्य के आज जो दुर्दशा हो रही है उसे नकारा नहीं जा सकता पूजा योग्य नारी ही आज एसबसे ज्यादा उपेक्षित एवं कुण्ठित है। कन्या भ्रूण हत्या से लेकर दहेज की बलीवेदी की शिकार महिलाएं आज हर तरह के शोषण की गिरफ्त में देखी जा सकती है जिसे देवी स्वरूप मानकर पूजे जाने की बात हर कोम एवं हर धर्म में कहीं उसे आज उसी सभ्य समाज से अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ रहा है। नारी अपने इसी संघर्ष की राह में महिला आरक्षण विधेयक को पारित करवाने की राह देख रहीं है यह विधेयक महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है इस कदम को आसान बनाने के लिए जो समस्याएं उनके लिए हमें समाधान खोजने होगें इसी राह में कुछ समाधान इस प्रकार है:

1. भेदभाव और बंदिशो में नारी को जकड़ने के बजाय उसे स्वतंत्रता प्रदान की जाने चाहिए।

2. महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा, यौन उत्पिड़न, बलात्कार आदि की समस्याएं उसे वंचित किया जाना चाहिए।

3. सर्वप्रथम नारी को संकुचित एवं संकिर्ण मानसिकता का त्याग कर सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना होगा।

4. नारी समाज की उपब्धियों को समाज के सामने लाना होगा। प्रत्येक महिला को इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, मदर टेरेसा, प्रतिभा पाटिल, लक्ष्मीकांता चावला, किरण बेदी की भांति अनुसरणिय कार्य करते हुए स्वयं को समाज में एक समान जनक स्थान हासिल करना होगा।

5. पुरूष समाज को नारीयों का समानजनक तरीके से बराबरी का दर्जा देना चाहिए उन्हें अपनी संकीर्ण विचारधारा में परिवर्तन करने की आवश्यकता है क्योंकि नारी ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह पुरूष से किसी भी रूप में कम नहीं है।

6. पुरूषों को अंहकार का त्याग, स्त्रीयों को समानता देने योग्य है । और स्त्रीयों को भी तरकी के अंहकार में ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें पुरूषों के अहम को ठोस पहुँचे एक दूसरे को छोटा दिखाने के चक्कर में छोटापन ही आयेगा, बड़पन नहीं।

7. पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण से समाज में महिलाओं का रूतबा बढ़ जायेगा।

8. महिलाओं के शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरित करना होगा।

9. अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए भी समान अवसर प्रदान किये जाये।

10. महिलाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाये।

11. ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार के अवसर व स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें।

12. प्रशासनिक क्षेत्र में सरकार की योजनाओं को शहर, गांव, ढाणी हर क्षेत्र तक पहुँचाये जाये और महिलाओं को इनसे अवगत कराया जाये।

उपसंहार

नर व नारी दोनों ही सृष्टि की उन्नति व खुशहाली के लिए अपरिहार्य है। नारी पुरूष से अधिक है उपादेय है- पुरूष की प्रगति हेतु। मानवीय दृष्टि से देखा जाय तो माँ बालक व बालिका की शरीर रचना, पालन-पोषण तथा उसे संस्कारित करने में अहम् भूमिका अदा करती है। दुर्भाग्य है कि परिवार, समाज व राष्ट्रीय उन्नति में अत्यधिक भागीदारी के उपरान्त उसे इन्साफ के लिए स्वतंत्र भारत में भी इन्तजार की घड़ियों में अपने जीवन को गुजारना पड़ रहा है। बेटियों और पत्नियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार जहां अपने जन्म के आंगन तथा विवाह होकर आने वाले आंगन में उसे भोगना पड़ता है वहीं इन्साफ के लिए तरसना पड़ रहा है। देश की सामाजिक

व्यवस्था में पुरूष प्रधान समाज सा पितृ सत्तात्मक समाज में लड़कियों व महिलाओं को कमतर की समझा जाता है। देश में राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था व कानूनी-व्यवस्था पर पुरूष की सत्ता आज भी व्याप्त है पितृसत्ता सिर्फ दो-तीन हजार वर्ष से है। पुरूष प्रधानता मनुष्य द्वारा बनाई हुई व्यवस्था है जिसे मनुष्य बनाते हैं उसे मनुष्य बदल भी सकते है। अतः समाज में बालिकाओं और महिलाओं के उत्थान व उन्हें समाज में प्रतिष्ठित करने हेतु समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन आवश्यक है क्या कोई भी किसान चाहता है कि उसकी आधी फसल अच्छी हो और आधी है खराब? अतः परिवार का बेटा-बेटी दोनों सदस्य समान रूप से प्रतिमान हो। समाज में जब बालिकाओं की उन्नति एवं प्रगति के लिए परिवार, समाज और सरकार अपने दृष्टि कोण में तब्दीली नहीं लाएंगे, तब तक नारी के जीवन व सामाजिक स्थिति में खुशहाली और उज्जवल भविष्य की परिकल्पना करना कोई मायने नहीं रखता। यदि हम देश में नारी के भविष्य में खुशहाली देखना चाहते है तो भावी नारी यानि बालिका के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन लाना होगा। तभी ये आज की खुशहाल बालिकाएं कालान्तर में भारतीय नागरिक के रूप में देश भविष्य को अग्रसर करने में कामयाबी हासिल कर सकेगी। अत: महिला-शिक्षा, महिलाओं के सामाजिक स्तर को उन्नयन करने तथा बाल-विवाह की प्रभावी रोकथाम हेतु राष्ट्रीय स्तर पर समयबद्धता एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु अभियान को प्रभावी ढंग से संगठित एवं संचालित करने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. नारी दास्ताँ: हरीश चन्द्र व्यास महिला विकास और सशक्तिकरण: प्रज्ञा शर्मा महिला और मानवाधिकार: एम. ए. अंसारी

2. नाटाणी, पी. एन. (2000) रत में सामाजिक समस्याएं

3. बोहरा, आशा: भारतीय नारी दशा दिशा बाइबिल: बाइबिल सोसाइटी ऑफ इंडिया बंगलौर तिवारी, आर. पी (1999): भारतीय नारी: वर्तमान समस्याएँ और समाधान

4. इन्द्रदेव (1969): भारतीय समाज इन्द्र एम. ए.: प्रचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति लारेन्स, जास्मिन (1999): महिला श्रमिक: सामाजिक स्थिति एवं समस्याएँ किशोर, राज: स्त्री के लिए जगह

5. मेहता, चेतन (1996): महिला और कानून रत्तू, कृष्ण कुमार (1998): भारतीय समाज: चिन्तन ओर पतन पन्निकर: हिन्दू समाज निर्णय के द्वार पर श्रीवास्तव, सुधा रानी (1999): भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति

6. पाण्डेय केशव: स्वातंत्र्योत्तर भारत में ग्राम्य विकास और गांधी दर्शन अग्रवाल. जे. सी.: भारत में नारी शिक्षा

7. उपाध्याय, रमेश: हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकार मोदी सरोज: विधानसभाओं में महिला विधायक

8. आरजू, एम. एच.: भारतीय महिला और आधुनिकरण शर्मा, रामनाथ (2000): भारतीय समाज, संस्थाऐं और संस्कृति शर्मा, विरेन्द्र प्रकाश: भारत में सामाजिक परिवर्तन

Corresponding Author

Dr. Pushpa Rai*

Associate Profesor & Head of the Department, Department of Sociology, Sri Arvind Mahila College, Patna, Bihar

www.ignited.in